



By Speed Post

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

प्रथम तल, कोर-4बी / 1st Floor, Core-4B,
भारत पर्यावास केन्द्र / India Habitat Centre,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 / Lodhi Road, New Delhi-110003
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय / Ministry of Housing and Urban Affairs
दूरभाष / Phone : 011-24642284, 24642287 फैक्स / Fax: 011-24642163

Y-11017/24/2025(E-9192489)

दिनांक: 11.07.2025

सेवा में,

श्री धरम विजय

3/129, वास्तु खंड,

गोमती नगर, लखनऊ-226010

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा 4 जुलाई 2025 को भेजे गये ईमेल का संदर्भ लें, जिसमें आपने पत्र दिनांक 2.4.2025 का संदर्भ दिया है जोकि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या 5/1/2023-DDVI, दिनांक 30.04.2025 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में प्राप्त था। आपके द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई सूचना का उत्तर निम्न प्रकार है :-

क्र. स.	सूचना मांगी गई	जवाब
1.	Whether the OBC-NCL (Other Backward Classes-Non Creamy Layer) certificate submitted by Shri Mukesh Yadav, Joint Director (Technical) NCRPB, has been verified by the relevant authorities. If yes, kindly provide the details of the verification process undertaken.	हाँ
2.	The date and reference number of the certificate of OBC-NCL status of Shri Mukesh Yadav JD Technical/NCRPB.	सूचना के अधिकार 2005 के नियम 8 (1) (j) के अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण यह सूचना नहीं दी जा सकती है।
3.	If the certificate is verified, please provide the documents or reference supporting the confirmation of its certificate	श्री मुकेश यादव, संयुक्त निदेशक (तक), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को जारी किए गए OBC-NCL प्रमाण पत्र का सत्यापन कार्यालय तहसीलदार बूढ़नपुर आजमगढ़ द्वारा पत्र संख्या-304/ना०ना०, दिनांक 30.04.2025 को किया गया है जिसे सही पाया गया है, जिसको प्रभारी अधिकारी (प्रमाण पत्र) कृते जिलाधिकारी,

National Capital Region Planning Board
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
जारी/Issue.....
दिनांक/Date.....
हस्ताक्षर/Signature.....

		आजमगढ़ द्वारा बोर्ड कार्यालय को प्रेषित किया गया है।
4	If the certificate has not been verified, kindly provide the reasons for the delay or non-verification of the certificate.	क्रम संख्या 3 के उत्तर में लागू नहीं है।
5.	If there has been any discrepancy or issue in the verification process of the OBC-NCL certificate of Shri Mukesh Yadav, please provide the details of the same.	नहीं।
6.	Educational and Experience Certificate verified by NCRPB or not.	हाँ, बोर्ड कार्यालय द्वारा श्री मुकेश यादव के शैक्षिक और अनुभव प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन किया गया है।

2. यदि आप प्रदान की गई जानकारी के संबंध में अपील करना चाहते हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं। अधोहस्ताक्षरी सीपीआईओ से संबंधित मामलों में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी उप निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, पहली मंजिल, कोर-4बी, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (फोन: +91-11-24642287) हैं।

भवदीय,
 राजीव गुप्ता
 13/03/2024
 जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि : श्री राम भरोसे मीना, अवर सचिव, डीडी-VI, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।